

ब्रीफ - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुपालन लेखापरीक्षा) 2021-22- राजस्थान सरकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अपने प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के पटल पर रखने हेतु राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। तदनुसार, 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (अनुपालन लेखापरीक्षा)-राजस्थान सरकार राज्य विधानसभा के पटल पर दिनांक 04/09/2025 को रखा जा चुका है। प्रक्रियानुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा की जन लेखा समिति को सौंप दिया जाता है।

यह रिपोर्ट दो भागों में है। **भाग-क** में राजस्व अर्जित करने वाले विभागों यथा वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा राज्य आबकारी की लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई लेखापरीक्षा प्रेक्षण सम्मिलित हैं, और **भाग-ख** में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए व्यय से संबंधित लेखापरीक्षा प्रेक्षण सम्मिलित हैं। इस रिपोर्ट में नौ अनुच्छेद हैं, जिनमें ₹ 444.05 करोड़ की राशि अन्तर्निहित है। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं।

भाग क: राजस्व

इस भाग में सात अनुच्छेद हैं जिनमें ₹441.92 करोड़ अन्तर्निहित हैं। इसमें वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित 'जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी' पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा एवं 'अचल सम्पत्तियों के बाजार मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया' पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सम्मिलित है।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

माल एवं सेवा कर

'जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी' पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा निष्पादित की गयी। पाई गई मुख्य अनियमितताएं निम्न प्रकार हैं:

विवरणियों के जांच की गति धीमी थी क्योंकि सितंबर 2021 में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट (बीआईयू) के गठन के बाद, इकाई ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित 9,288 उच्च जोखिम वाले करदाताओं को जांच के लिए चयनीत किया, इनमें से केवल 2,535 मामलों (27.29 प्रतिशत) की अगस्त 2022 तक जांच की गई थी। यह भी देखा गया कि विभाग द्वारा विवरणियों की जांच के लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। कर प्राधिकारियों द्वारा बिजनेस लेखापरीक्षा करने में विलम्ब था, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2020-21 के लिये बिजनेस लेखापरीक्षा अभी तक शुरू होनी थी। 2017-18 के लिये चिन्हित सभी प्रकरणों की भी लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी जबकि 2018-19 के पांच प्रतिशत से भी कम प्रकरणों की लेखापरीक्षा की गयी थी। तीन वृत्तों (अपेक्षित सूचना 21 में से तीन वृत्तों द्वारा उपलब्ध कराई गई थी) में 878 करदाताओं (52.39 प्रतिशत) द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-3ए में नोटिस जारी किए जाने के बाद भी उपयुक्त विवरणी दाखिल नहीं की गई थी। तथापि, क्षेत्राधिकारियों ने इन

प्रकरणों में निर्धारण एवं पंजीयन निरस्त करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी। पंजीकरण रद्द करने के बाद जीएसटीआर-10 न भरने पर कार्यवाही का अभाव पाया गया क्योंकि रद्द किए गए इन पंजीकरणों में से लेखापरीक्षा की तिथि तक निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी अंतिम विवरणी, जीएसटीआर-10 दाखिल नहीं करने वाले 4901 करदाताओं के विरुद्ध क्षेत्राधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी।

केन्द्रीकृत लेखापरीक्षा में, लेखापरीक्षा ने ₹ 272.59 करोड़ की राशि के 323 प्रकरणों में आरजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों से विचलन पाया गया, जो कि डेटा में 605 विसंगतियों/मिसमैच का 53.39 प्रतिशत था, जिसके लिए विभाग ने प्रत्युत्तर दिये। जोखिम मापदण्डों जैसे कि आईटीसी का अधिक लाभ लिया जाना, कर योग्य मूल्य की कम घोषणा और आरसीएम पर आईटीसी का अधिक लाभ लिया जाना में विचलनों की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गयी। 39 करदाताओं के 123 प्रकरणों में देखा गया, जो कि लेखापरीक्षा किए गए 100 करदाताओं का 39 प्रतिशत था, कि करदाताओं ने या तो अपनी विवरणियों को देरी से दाखिल किया था या गलत तरीके से आईटीसी क्रेडिट का लाभ उठाया और उपयोग में लिया, जिसका कि वापिस भुगतान किया गया लेकिन ब्याज की राशि ₹ 6.50 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया। सात प्रकरणों में करदाताओं ने ₹ 1.44 करोड़ की अपात्र आईटीसी का लाभ उठाया, कमियाँ मुख्य रूप से उन माल और सेवाओं की आपूर्ति पर आईटीसी प्राप्त करने के कारण थी जिनका उपयोग उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए नहीं था और अवरुद्ध माल पर क्रेडिट प्राप्ति के कारण था। नौ प्रकरणों में करदाताओं द्वारा आरजीएसटी अधिनियम के नियम 42 को गलत लागू करने के कारण ₹ 3.44 करोड़ आगत कर को रिवर्स नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान जांच किए गए 100 प्रकरणों में से 49 प्रकरणों में ₹ 9.75 करोड़ की कर देयता के विचलन/मिसमैच देखे गए। ये कमियाँ मुख्य रूप से जीएसटीआर 1 एवं जीएसटीआर 9/3बी में भुगतान किए गए कर के बीच मिसमैच होने के कारण हुई थीं। इस उद्देश्य के लिए जीएसटीआर 1 एवं 9 में घोषित संशोधनों तथा अग्रिम समायोजनों पर भी विचार किया गया। 100 करदाताओं के लेखापरीक्षा नमूने में से 82 करदाताओं द्वारा जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध आईटीसी की तुलना में मासिक/वार्षिक विवरणी में अधिक आईटीसी का उपभोग किया गया। इन आक्षेपों में प्राप्त आईटीसी में मिसमैच ₹ 0.02 लाख से ₹ 11,635.15 लाख तक है जो कुल ₹ 25,902.69 लाख है।

भू-राजस्व

कार्यालय द्वारा भू-राजस्व विभाग की 74 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। पाई गई मुख्य अनियमितता है:

- उचित डीएलसी दर न अपनाने, संपरिवर्तन शुल्क में अनियमित छूट तथा संपरिवर्तन के बाद भूमि के अनाधिकृत उपयोग के कारण संपरिवर्तन शुल्क की कम वसूली।

“अचल सम्पत्तियों के बाजार मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया” पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन

लेखापरीक्षा निष्पादित की गयी। पाई गई मुख्य अनियमितताएं निम्न प्रकार हैं:

कम्पनी के समामेलन दस्तावेज के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.45 करोड़ का कम आरोपण हुआ। उप पंजीयक ने विकासकर्ता अनुबंध के विवरण में मौजूद तथ्यों का संज्ञान नहीं लिया, जिसके परिणामस्वरूप सम्पत्ति की प्रतिफल राशि ₹ 10.89 करोड़ पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 86.25 लाख का कम आरोपण हुआ। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी लीज विलेस के विवरण में बताये गये तथ्यों पर विचार नहीं करने के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 25.36 लाख का अनारोपण हुआ। कृषि उपज मंडी समिति द्वारा जारी विनिमय लीज विलेस कन्वेयंस के रूप में वर्गीकृत किये जाने चाहिए थे तथा तदनुसार ही बाजार मूल्य ₹ 19.79 करोड़ पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.64 करोड़ आरोपणीय थे। तथापि, उप पंजीयकों ने निर्धारित मूल्य ₹ 6.40 करोड़ पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.48 करोड़ आरोपित किये जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.16 करोड़ का कम आरोपण हुआ। प्रभावशील मौका निरीक्षणों के अभाव में सम्बंधित उप पंजीयकों ने मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 4.54 करोड़ के स्थान पर ₹ 2.94 करोड़ आरोपित किये जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.60 करोड़ का कम आरोपण हुआ। नियमों और प्रक्रियाओं की पालना ना करने तथा गलत/जाली चालानों के उपयोग को रोकने के लिए ई-पंजीयन प्रणाली की असमर्थता के परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.45 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के अलावा निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गयीं:

- राजस्थान निवेश संवर्धन योजना के तहत दो प्रकरणों में मुद्रांक कर तथा सरचार्ज की अनियमित छूट की कुल राशि ₹ 66.87 लाख तथा ब्याज राशि ₹ 31.54 लाख वसूलनीय थी।
- उप पंजीयक सम्बंधित दस्तावेजों को ध्यान में रखने में विफल रहा जिससे साझेदारी विलेस का दस्तावेज मुद्रांक कर ₹ 5,000 मात्र से नोटेराइज्ड था जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 2.83 करोड़ का कम आरोपण रहा।
- पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अभिलेखों के प्रभावी निरीक्षण में असमर्थता के परिणामस्वरूप विकासकर्ता अनुबंध दस्तावेज पर मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 1.15 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

राज्य आबकारी

राज्य आबकारी शुल्क के आरोपण तथा संग्रहण पर अनुपालन लेखापरीक्षा निष्पादित की गयी। राजस्थान राज्य आबकारी एवं मद्य संयम नीति (नीति) 2020-21 के प्रावधानों की अनुपालना में पायी गई मुख्य अनियमितताएं निम्न प्रकार हैं:

- जिला आबकारी अधिकारियों ने नीति के प्रावधानों को लागू नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा के कम उठाए गए मासिक गारंटी कोटा पर आबकारी शुल्क ₹ 23.88 करोड़ का कम राजस्व संग्रहण हुआ।
- जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा नीति के प्रावधानों को लागू न करने के कारण आबकारी शुल्क एवं बेसिक लाइसेंस फीस की अंतर राशि ₹ 24.65 करोड़ का कम राजस्व संग्रहण हुआ।
- आबकारी आयुक्त के लागू दिशा-निर्देशों की अनुपालना न होने के परिणामस्वरूप रिटेल-ऑन व रिटेल-ऑफ अनुज्ञाधारियों से भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क की अंतर राशि ₹ 72.88 करोड़ की अवसूली रही।
- जिला आबकारी अधिकारियों ने नीति के प्रावधानों को लागू नहीं किया तथा आबकारी आयुक्त के निर्देशों का पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की कम उठायी गयी मात्रा पर अतिरिक्त राशि ₹ 15.25 करोड़ की अवसूली रही।
- जिला आबकारी अधिकारियों के द्वारा नियम/अधिसूचना के विद्यमान प्रावधानों की अनुपालना न कर पाने से रेस्टोरेंट बार लाइसेंसधारियों से लाइसेंस फीस ₹ 77.50 लाख की कम वसूली रही।

भाग ख: अनुपालन लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन के इस भाग में, युवा मामले एवं खेल विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित ₹ 2.13 करोड़ की राशि के दो अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल हैं।

युवा मामले एवं खेल विभाग

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद परिषद द्वारा स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक टारगेट स्कोरिंग प्रणाली का क्रय बहुत ही अकुशलता से किया गया था, क्योंकि प्रत्येक चरण में निर्णय लेने में बहुत समय लिया गया। युवा मामले एवं खेल विभाग की क्रय क्षमता की कमी के कारण क्रय प्रक्रिया में भी अत्यन्त कुप्रबंधन हुआ।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा समय पर कार्यवाही करने में विफलता के परिणामस्वरूप सरकारी बकाया राशि ₹ 2.13 करोड़ की वसूली का अभाव।